

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरु (राज0)

क्रमांक :- 500

दिनांक :- 01.06.2026

विज्ञप्ति संख्या-01 / 2026

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के स्वेच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

:-रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम:-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आईडी	रिक्त पदों का विवरण मय आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	तारानगर CDPO.TRANAGAR@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1) बांय-II, (2) तारानगर वार्ड नं0 15(पुराना वार्ड) सहायिका- (1)ढाणी कुम्हारन-I(SC), (2)पुनसीसर-II, (3) बूचावास-पांच, (4)नेठवा, (5)कालवास-II, (6)मेघसर-I, (7)रैयाटुण्डा-I, (8)तोगावास-II(SC)
2	रतनगढ़ CDPO.RATANGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1)कुसुमदेसर-I, (2) दाऊदसर-चतुर्थ(SC), (3)मालपुर सहायिका- (1)जांदावा-II, (2)जोगनिया बीकान, (3)सिमसिया-II, (4)राजलदेसर-I, वार्ड नं.11-पुराना(SC), (5)थामड़ा की ढाणी, (6)रतनगढ़ वार्ड-28(पुराना वार्ड)
3	चूरु (शहर) CDPOchurucity@gmail.com	कार्यकर्ता- (1)चूरु केन्द्र संख्या 20-II(वार्ड नं.26-नया)(अल्पसंख्यक) सहायिका- (1)चूरु केन्द्र संख्या 07-II(वार्ड नं09-नया)(अल्पसंख्यक), (2)चूरु केन्द्र संख्या 25-I- (वार्ड नं.39,40-नया)(अल्पसंख्यक) (3)चूरु केन्द्र संख्या 25-II(वार्ड नं.39,40-नया)(अल्पसंख्यक)
4	बीदासर CDPO.BIDASAR@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1)रूपेली सहायिका- (1)उड़वाला-I, (2)राजपूतों की ढाणी, (3)साजनसर-I, (4)बैनाथा उपाध्याय, (5)सोनियासर-उदय, (6)बीदासर-ग्रामीण-I(वार्ड नं.25-पुराना)(अल्पसंख्यक), (7)बीदासर-वार्ड-9,11(वार्ड 9,11-पुराना)(अल्पसंख्यक)
5	चूरु (ग्रामीण) CDPO.CHURUR@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1)पीथीसर-III(अल्पसंख्यक), (2) जसरासर-I, (3) जासासर-II, (4)धीरासर चारणान, (5) महारावणसर सहायिका- (1)चलकोई बणीरोतान-I (2) कायमखानी मौहल्ला सहजूसर(अल्पसंख्यक)
6	सरदारशहर ICDS.SARDARSHAHAR@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1) डालमाण-I, (2)घड़सीसर-III, (3)दुलरासर-II, (4)उडसर लोडेरा-I, (5)सिंगडी, (6)राजासर पंवारान-I, (7) सरदारशहर वार्ड संख्या-40-II(नया वार्ड-55)(अल्पसंख्यक) सहायिका- (1)फोगा-चतुर्थ, (2) ढाणी पांचेरा-I, (3) ढाणी तेतरवाल-I, (4)ढाणी तेतरवाल-II, (5)मालसर-II, (6) उडसर लोडेरा-I, (7)जोरावरपुरा, (8)रामसीसर छजनालिया, (9)बुकनसर छोटा, (10)मेहरी-I, (11)दुलरासर-II, (12)हरपालसर, (13)बरजांगसर-II, (14)देराजसर-II, (15) सरदारशहर वार्ड संख्या-31(नया वार्ड-42), (16) सरदारशहर वार्ड संख्या-35(नया वार्ड-49)(अल्पसंख्यक)
7	सुजानगढ़ CDPO.SUJANGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	कार्यकर्ता- (1)हेमासर अगुणा, (2)सालासर-II, (3)मगरासर-II, (4)सुजानगढ़ केन्द्र सं.28-I(वार्ड नं.28-पुराना), (5) दुलिया-II(सुजानगढ़ वार्ड नं.35-पुराना)(SC) सहायिका- (1)तोलियासर-I(SC), (2)खारिया छोटा, (3) सुजानगढ़ केन्द्र सं.19(वार्ड नं.19-पुराना), (4) सुजानगढ़ केन्द्र सं.22(वार्ड नं.22-पुराना), (5) सुजानगढ़ केन्द्र सं.23(वार्ड नं.23-पुराना), (6) सुजानगढ़ केन्द्र सं.29(वार्ड नं.29-पुराना),
8	राजगढ़ cdporajgarhchuru@gmail.com	कार्यकर्ता- शून्य सहायिका- (1) लुटाणा सदासुख, (2) धोलिया(ददरेवा), (3)राजगढ़ केन्द्र सं.19(वार्ड नं. 19-पुराना)(अल्पसंख्यक)
9	राजगढ़ ग्रामीण cdporajgarhgramin@gmail.com	कार्यकर्ता- शून्य सहायिका- (1) सांखु-I, (2) सांखु-III, (3)बेगु का बास

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। आंगनबाड़ी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जावेगी एवं आवेदन करते समय अण्डरटेकिंग(शपथ पत्र) देना होगा। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विज्ञप्ति प्रकाशन/जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने व उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
 - आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन/आदिम व घुमन्तु जाति होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आ.बा.कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन(केवल राजस्थान के मानदेयकर्मी के लिए) के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (10) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
 - जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
 - आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज के दो प्रतियों में पूर्ण कर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 01.07.2026 को सायं 05.00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 - आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
 - इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
 - सभी आवेदक निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे तथा इसके साथ ही कार्यालय स्टॉफ की सहायता से फॉर्म को गुगल फॉर्म पर ऑनलाईन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ.नरेन्द्र शेखावत)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

चूरू (राज0)

क्रमांक : 501-510

दिनांक : 01.06.2026

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--

- श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान जिला कलक्टर, चूरू।
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू।
- श्रीमान जिला जनसम्पर्क अधिकारी, चूरू।
- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला चूरू।
- श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला चूरू।
- आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगरपालिका, समस्त जिला चूरू।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला-चूरू को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

चूरू